

छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2014 (माघ 21, 1935)

सभा के गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबन

आज सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2014 को सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्य गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण नियमावली के नियम 250(1) के तहत स्वयमेव निलंबित हो गये। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निलंबन की अवधि सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2014 को ही तुरंत समाप्त कर दी गई -

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. श्री बृहस्पत सिंह | श्री
14. भैयाराम
सिन्हा |
| 2. डॉ. प्रीतम राम | श्रीमती
15. अनिला
भेंड़िया |
| 3. श्री चिंतामणी महाराज | श्री
16. राजेन्द्र
कुमार
राय |
| 4. श्री टी.एस. सिंहदेव | श्री
17. भूपेश
बघेल |
| 5. श्री अमरजीत भगत | श्री
18. अरुण
वोरा |
| 6. श्री लालजीत सिंह राठिया | श्री
19. भोलारा
म साहू |
| 7. श्री श्यामलाल कंवर | श्रीमती
20. तेजकुंवर
गोवर्धन
नेताम |

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 8. श्री जयसिंह अग्रवाल | 21. श्री
मनोज
सिंह
मंडावी |
| 9. श्री अमित अजीत जोगी | 22. श्री
मोहन
मरकाम |
| 10. डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी | 23. श्री
बघेल
लखेश्वर |
| 11. श्री मोतीलाल देवांगन | 24. श्री
दीपक
बैज |
| 12. श्री जनकराम वर्मा | 25. श्रीमती
देवती
कर्मा |
| 13. श्री सत्यनारायण शर्मा | |

देवेन्द्र वर्मा,
प्रमुख सचिव